



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-15122022-241117
CG-DL-E-15122022-241117

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5620]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, दिसम्बर 15, 2022/अग्रहायण 24, 1944

No. 5620]

NEW DELHI, THURSDAY DECEMBER 15, 2022/AGRAHAYANA 24, 1944

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 दिसम्बर, 2022

का.आ. 5856(अ).—केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. , जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित की गई थी, द्वारा राजस्थान राज्य के जोधपुर जिले में जोधपुर रिंग रोड (सेक्शन-II नागौर रोड-डांगियावास) के कि.मी. 0.00 से कि.मी.30.093 (जोधपुर) तक के राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन का बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी ;

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उपधारा (3) के अधीन तारीख "13/08/2022 " को "राजस्थान पत्रिका" और "दैनिक नवज्योति" दोनों में प्रकाशित किया गया था ;

और आक्षेप प्राप्त हुए थे और सक्षम प्राधिकारी ने उन पर विचार कर लिया है और आक्षेपों को अननुज्ञात कर दिया है ;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए ;

और अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी ।

अनुसूची

राजस्थान राज्य के जोधपुर जिले में जोधपुर रिंग रोड (सेक्शन-II नागौर रोड-डांगियावास) के कि.मी. 0.00 से कि.मी. 30.093 (जोधपुर) के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित विवरण।

राज्य का नाम: राजस्थान		जिले का नाम: जोधपुर			
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूस्वामी/हितबद्ध व्यक्तियों का नाम
1	2	3	4	5	6
	तालुक का नाम: जोधपुर				
	गांव का नाम: घड़ाव				
1	154	सरकारी	गोचर	0.0397	जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर ()
2	41	सरकारी	गोचर	0.0287	जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर ()
	गांव का नाम: कड़वड़				
3	417 मई बता नंबर	निजी	बारानी 4	0.4907	जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर ()
4	421	सरकारी	गैर मुमकिन रास्ता	0.0087	जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर ()
5	422	सरकारी	बारानी 4	0.0601	जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर ()
6	423	सरकारी	बारानी 2	0.2123	डोली बनाम मन्दिर श्री मुरली मनोहरजी ()
7	425/3 मई बता नंबर	निजी	बारानी 4	0.0176	नरेन्द्रसिंह पि. गोविन्दसिंह वगैरा वर्तमान जमाबंदी अनुसार व बट्टा नम्बर इत्यादि

					भूखण्ड होने के कारण ()
8	425/4	निजी	बाराणी 4	0.0662	ओमसिंह पि. किशोरसिंह जाति राजपूत, हिरादेवी पत्नि प्रतापराम जाति पटेल, मोहनसिंह पि. बजरंगसिंह जाति राजपूत, ख.न. 426/7 मंजुकंवर पत्नि मोहनसिंह, पवनकंवर पत्नि हेमसिंह, पपुकंवर पत्नि कंवरसिंह, लहरकंवर पत्नि पुरणसिंह वगैरा वर्तमान जमाबंदी अनुसार भूखण्ड होने के कारण ()
9	425/5	निजी	बाराणी 4	0.1162	मनीष पि. परिप्रसाद, रोहित पि. राजेन्द्र, सुनिलदत्त पि. रूपनारायण ()
10	589 मई बता नंबर	अन्य	गोचर/ गैर मुमकिन आ	0.2341	जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर ग्राम पंचायत भवन प्याऊ व धर्मशाला ()
11	591	सरकारी	बाराणी 2	0.1509	डोली बनाम मन्दिर श्री मुरली मनोहरजी ()
12	593	सरकारी	गैर मुमकिन गोचर /गैर मुमकिन आ.	0.0195	आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर ()
13	594	अन्य	गैर मुमकिन गोचर	0.1143	ओमप्रकाश पि. मनोहरलाल, मीग पत्नि ओमप्रकाश, हेमन्द्रकुमार, किशोर कुमार पि. ओमप्राकश, रजनी पुत्री ओमप्रकाश हि. 1/2, पुखराजदेव पि. दिनदयाल दवें, सरला उर्फ पिर्या पत्नि पुखराज, मीनाक्षी पुत्री पुखराज, प्रवीण, दयाल प्रदीप पि. पुखराज हि. 1/2 ग्राम पंचायत के अधीन भूमियां ()
			कुल	1.559	

[फा. सं. NHA/PIU-Jod/JRR-II/3(a)/3D]

राजेश गुप्ता, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 15th December, 2022

S.O. 5856(E).—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, , published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) issued under sub-section (1) of section 3A of the National Highway Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intension to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for building (widening/four-laning, etc.), maintenance, management and operation of Jodhpur Ring Road (Section-II Nagaur Road- Dangiyawas) on the stretch of land from Km 0.00 to Km 30.093 (Jodhpur) in the district of JODHPUR in the state of RAJASTHAN;

And whereas the substance of the said notification has been published in “Rajasthan Patrika” and “Dainik Navajyoti” both dated 13/08/2022; under sub-section (3) of section 3A of the said Act;

And whereas objections have been received and the same have been considered and disallowed by the Competent Authority;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Competent Authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the Competent Authority and in exercise of the powers conferred by the sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structure, falling within the Jodhpur Ring Road (Section-II Nagaur Road- Dangiyawas) in the stretch of land from km 0+00 to Km. 30+093 Km. (Jodhpur) in the district of JODHPUR in the state of RAJASTHAN.

State: RAJASTHAN		District: JODHPUR			
Sr. No.	Survey Number	Type of Land	Nature of Land	Area in Hectare	Name of the Land Owner/Interested Person Part Survey No.
1	2	3	4	5	6
	Taluk: Jodhpur				
	Village: Ghadav				
1	154	Government	Gochar	0.0397	Jodhpur Development Authority, Jodhpur
2	41	Government	Gochar	0.0287	Jodhpur Development Authority, Jodhpur
	Village: Karwar				
3	417 may bata number	Private	Barani 4	0.4907	Jodhpur Development Authority, Jodhpur
4	421	Government	Gair mumkin Rasta	0.0087	Jodhpur Development Authority, Jodhpur
5	422	Government	Barani 4	0.0601	Jodhpur Development Authority, Jodhpur
6	423	Government	Barani 2	0.2123	Doli banab Mandir Shri Murli Manoharji
7	425/3 may bata	Private	Barani 4	0.0176	Narendra Singh S/o Govindsing,

	number				vartman jamabandi & batta number etc. bhukhan hone ke karan
8	425/4	Private	Barani 4	0.0662	Omsingh S/o Kisor Singh jati rajput, Hirodevi W/o Parapram jati Patel, Mohan Singh S/o Bajrang singh jati Rajput, Kh no. 426/7 Manju kwar W/o Mohansingh, Pawan kwar W/o Hemsingh, Papukwawar W/o Kwarsingh, Larhar kwar W/o Purnsingh etc. vartman jamabandi & batta number etc. bhukhan hone ke karan
9	425/5	Private	Barani 4	0.1162	Manish S/o Pariparsad, Rohit S/o Rajendra, Sunil Datt S/o Roopnarayan
10	589 may bata number	Common	Gochar/ Gair Mumkin Aa	0.2341	Jodhpur Development Authority, Jodhpur, Gram Panchayt Bhwan, Payu & Dharmshala
11	591	Government	Barani 2	0.1509	Doli banab Mandir Shri Murli Manoharji
12	593	Government	Gair Mumkin Gochar /Gair Mumkin Aa	0.0195	Ayurveda University, Jodhpur
13	594	Common	Gair Mumkin Gochar	0.1143	Omprasash S/o Manohar Lal, Ming W/o Monohar Lal, Harmendra kumar, Kishor Kumar S/o Omprakash, Rajani D/o Omprakash 1/2, Pukhrajdev S/o Dindayal dave, Sarla uarf Pirya W/o Pukhraj, Minakhi D/o Pukhraj, Parveen, Dayal Pradeep S/o Pukhraj H. 1/2 Gram Panchyat ke adhin bhumiya
			TOTAL	1.559	

[F. No. NHAI/PIU-Jod/JRR-II/3(a)/3D]

RAJESH GUPTA, Director